



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण 1944 (श10)
(सं0 पटना 568) पटना, वृहस्पतिवार, 28 जुलाई 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
28 जुलाई 2022

एस० ओ० 170 दिनांक 28 जुलाई 2022— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017), की धारा 10 की उप धारा (1) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 52, दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 345, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "फ्लार्ड ऐश ईटें; फ्लार्ड ऐश समुच्चय; फ्लार्ड ऐश ब्लॉक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14) 2120)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

28 जुलाई 2022

एस० ओ०. 170, दिनांक 28 जुलाई 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14) 2120)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 28th July 2022

S.O. 170, Dated The 28th July 2022— In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 52, dated the 7th March, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 345, dated the 7th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 4, for the entry in column (3), the entry “Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from 18th July, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 2120)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 568-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>